

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं अध्यक्ष राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2017

ग्राम पंचायत अरण्डखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी- श्री मोहनलाल प्रतिहार, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 99/16

1. जमना बाई आयु 46 वर्ष बेवा श्री लटूर जी
2. धन्नालाल आयु 50 वर्ष आत्मज श्री भेरिया जी, जाति लश्करी निवासीगण ग्राम परल्या तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राज0 (वादीगण)

बनाम

1. श्रीमती प्रेमबाई आयु 48 वर्ष पुत्री श्री भेरिया जी पत्नि श्री भैरूलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम रूग्घी तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जर्घे तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राज0 (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 188 RTA


मुकदमा नम्बर : 96/16

निर्णय दिनांक : 15.06.2017

न्याय आपके द्वार-2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अरण्डखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में आयोजित राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान की सुनवाई एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व अभिलेखों के आद्योपान्त अवलोकन उपरान्त आज तारीख 15-06-2017 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री मोहनलाल प्रतिहार, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी, कोटा) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर ग्राम अरण्डखेडा पटवार हल्का अरण्डखेडा जिला कोटा में खाता सं० 237 की खसरा नं० 855, 1159, 1162, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1393, 1475, 1476, 1547, 1584, 1586, 1587, 1703, 1976, 1977 कुल किता 25 की रकबा 26.73 है० भूमि के वादीगण व प्रतिवादिनी सहखातेदार कृषक है। अतः सहखातेदार के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करना प्रतिबन्धित होने से वाद वादीगण अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 15.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(मोहनलाल प्रतिहार)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, कोटा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2. अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शों के लिये स्टाम्प		3. प्लीडर के लिये फीस	
4. रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6. कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड	